



पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

1- जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनभोगी श्री धारक
 पी०पी००३० संख्या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद (केन्द्रीय) के पेंशनर
 बैंक खाता संख्या से पेंशनर आहरित कर रहे
 हैं/रही हैं को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित हैं।

स्थान	अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	मुहर

2- रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये वाणिज्यक रोजगार स्वीकार किया।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके /बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	पेंशनभोगी का नाम

3- पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं वित्त अधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	पेंशनभोगी का नाम
नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।	

डॉ०/श्री/श्रीमती

का जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

सहायक कुल सचिव (लेखा)

दिनांक